न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 14/08/टीआई

1. मुरलीराम पुत्र कानाराम
2. सेडूराम | पुत्रगण रूड़मल
3. बिरजूराम |
4. रामदेव |

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्रामावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–प्रार्थीगण

ब ना म

1. श्रवणलाल | कजोड़मल
2. फूलाराम |
3. ओमप्रकाश पुत्र हीराराम
4. मंगला पुत्र हीरालाल
5. सुखदेवा | सुवालाल
6. पोखर |
7. बीरबल |

समस्त जाति जाट नि. गण ग्राम ग्रामावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

8. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर
9. उप पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर

–अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

1. श्री शिवपालसिंह वकील प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक– 05.05.2014

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण एवं प्रत्यार्थीगण सं. 1 व 2 एक ही पूर्वज कानाराम की संतान है वंशावली निम्न प्रकार से है –

कानाराम

↓

कजोड़मल रूड़मल मुरलीराम

↓ ↓

श्रवण फूला सेडू बिरजू रामदेव

वादग्रस्त भूमियां खाता सं. 154 ख.नं. 667 रकबा 1.67 है0, 668 रकबा 0.05 है0 किता 2 कुल रकबा 1.72 है. व ख.नं. 669 रकबा 0.02 है0 ग्राम ग्रामावास तहसील दांतारामगढ की तन में अवस्थित है। उपरोक्त भूमियों के पुराने खसरा नं. 291 है।

उपखण्ड अधिकारी

वादग्रस्त भूमियां खाता सं. 152 खसरा नं. 670 रकबा 0.77 है0, 671 रकबा 0.91 है0, 65 रकबा 0.61 है0 किता 3 कुल रकबा 2.29 है0 ग्राम झामावास की तन में अवस्थित रही है उपरोक्त भूमियों के पुराने खसरा नं. 296 रहे है। वादग्रस्त भूमियां खाता सं. 174 खसरा नं. 610 रकबा 0.91 है0, 612 रकबा 0.94 है0, 609 रकबा 0.45 है0, 617 रकबा 0.37 है0 किता 4 कुल रकबा 2.67 है0 ग्राम झामावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित रही है उपरोक्त भूमियों के पुराने ख.नं. 271 रहे है। आवेदन पत्र की धारा 3 व 4 में वर्णित भूमियों में से संपूर्ण तथा धारा 5 में वर्णित भूमियों में से 1/4 हक हिस्सा प्रार्थीगण एवं प्रत्यथीगण सं. 1 व 2 का पैतृक हक व हिस्सा रहा है। आवेदन पत्र की धारा 3 व 4 में वर्णित भूमियों के संपूर्ण हिस्से में से प्रार्थी सं. 1 1/3, प्रार्थीगण सं. 2 से 4 1/3 तथा प्रत्यर्थीगण सं. 1 व 2 1/3 हिस्से पर पूर्वजों के समय से काबिज काश्तकार चले आ रह है तथा आवेदन पत्र की धारा 5 में वर्णित भूमियों में से 1/4 हि. में से प्रार्थी सं. 1 1/3, प्रार्थी सं. 2 से 4 1/3 तथा प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 1/3 हक हिस्से पर पूर्वजों के जमाने से काबिज काश्तकार चले आ रहे थे शेष 3/4 हक हिस्से पर अन्य सह खातेदार काश्तकार का है जिसके सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। आवेदन पत्र की धारा 3 व 4 में वर्णित भूमियां संपूर्ण तथा धारा 5 में वर्णित भूमियों में से 1/4 हक हिस्सा प्रार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण सं. 1 व 2 का पैतृक हक हिस्सा रहा है। वादग्रस्त भूमियों को पूर्व में पक्षकारान का दादा कानाराम काश्त किया करता था परन्तु कानाराम का स्वग्रवास काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व ही हो गया जिसके कारण प्रत्यर्थीगण सं. 1 व 2 का पिता कजोड़ प्रार्थी सं. 1 तथा प्रत्यर्थी सं. 2 से 4 के पिता रूड़ाराम के संयुक्त परिवार का कर्ता खानदान हुआ। प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 के पिता कजोड़मल कर्ता खानदान होने के कारण वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों की भूल सहवन अथवा कजोड़मल की साजिश वश अकेले कजोडमल के नाम अंकित हो गयी जबकि खातेदारी कजोड़मल मुरलीराम व रूड़ाराम के नाम अंकित होनी चाहिए थी, स्व. कजोड़मल के स्वर्गवास के पश्चात् गलत रूप से खातेदारी प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गयी। प्रत्यर्थीगण सं. 1 व 2 आवेदन पत्र की धारा 4 में वर्णित व 3 में वर्णित में से 1/3 तथा आवेदन पत्र की धारा 5 में वर्णित भूमियों में से 1/12 हक हिस्से पर ही संयुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा था परन्तु प्रत्यर्थीगण सं. 1 व 2 द्वारा प्रत्यर्थी सं. 3 से 7 से साजिश रचकर आवेदन पत्र की धारा 4 में वर्णित भूमियों में से 1/4 हिस्से का विक्रय पत्र प्रत्यर्थी सं. 3 तथा 1/4 हक हिस्से का विक्रय पत्र प्रत्यर्थी सं. 4 के पक्ष में प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा निष्पादित एवं पंजीकृत करवा दिया गया और गलत रूप से उपरोक्त विक्रय पत्रों के आधार पर खातेदारी में प्रत्यर्थी सं. 3 व 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित करवा ली गयी। इसी प्रकार एक अवैध विक्रय पत्र प्रत्यर्थी सं. 4 ता 7 के हक में आवेदन पत्र की धारा 5 में वर्णित भूमियों में से 1/8 हक हिस्से के बाबत निष्पादित एवं पंजीकृत करवा दिया गया,

उपखण्ड अधिकारी

जबकि प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 का दोनों का केवल 1/12 हक हिस्से पर ही कब्जा काश्त था शेष 1/6 हक हिस्से पर प्रार्थीगण काबिज चले आ रहे है। प्रत्यर्थी सं. 3 व 4 का आवेदन पत्र की धारा 4 वर्णित भूमियों में से केवल 1/3 हक हिस्से पर कब्जा काश्त चला आ रहा है शेष 2/3 हिस्से पर प्रार्थीगण काबिज चले आ रहे है। प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 का कोई कब्जा काश्त नहीं है। इसी प्रकार आवेदन पत्र की धारा 5 में वर्णित भूमियों में से प्रत्यर्थी सं. 5 लगायत 7 का केवल 1/12 हक हिस्से पर कब्जा काश्त है। 1/6 हक हिस्से पर प्रार्थीगण काबिज काश्तकार चले आ रहे है। प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 का कोई कब्जा काश्त आवेदन पत्र की धारा 4 में वर्णित भूमियों में से 2/3 तथा आवेदन पत्र की धारा 5 में वर्णित भूमियों में से 1/6 हक हिस्से के काबिज खातेदार कोश्तकार उद्घोषणा करवाने के हक अधिकारी है। प्रत्यर्थीगण सं. 1 ता 7 के मन में वादग्रस्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में हुए गलत इन्द्राजात के कारण बेईमानी आ गयी है जबकि गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रत्यर्थीगण को कोई किसी तरह के हक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है तथा प्रत्यर्थीगण सं. 1 ता 7 वर्तमान में गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर वादग्रस्त भूमियों को प्रत्यर्थी सं. 9 से मिलकर हस्तांतरित करने की कुचेष्टा में लगे हुए है तथा साथ ही साथ प्रत्यर्थी सं. 8 से मिलकर राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाने तथा प्रार्थीगण को बेदखल करवाने की कुचेष्टा में लगे हुए है। अपनी उक्त कुचेष्टाओं के कम में वाद में विचारण के दौरान ही प्रत्यर्थी सं. 2 फुला द्वारा वादग्रस्त भूमियों में से भूमि ख.नं. 667 रकबा 1.67 है0, 668 रकबा 0.05 है0 किता 2 कुल रकबा 1.72 है0 में से 1/2 तथा भूमि खसरा नं. 669 कुआ में से 1/4 हक हिस्से के बाबत विकय पत्र श्रीमती बिदामी देवी धर्मपत्नी रूड़ाराम तथा फूलीदेवी धर्मपत्नी मुरलीराम के हक में निष्पादित एवं पंजीकृत करवा चुके है तथा उक्त विकय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम करवा चुके हे जिसके बाबत समुचित कानूनी कार्यवाही करने के हक अधिकार प्रार्थीगण सुरक्षित रखते है परन्तु प्रत्यर्थी सं. 1 ता 7 प्रत्यर्थीगण सं. 8 9 से मिलकर वादग्रस्त भूमियों के बाबत अन्य व्यक्तियों को पक्ष में ओर भी हस्तांतरण प्रलेख निष्पादित एवं पजीकृत करवाने एवं वादग्रसत भूमियों के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाने की कुचेष्टाओं में सफल हो गये तो प्रार्थीगण के वैध अधिकारों पर भारी आज्ञात उत्पन्न होकर अपूरणीय क्षति होगी इसलिए उन्हें जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना न्यायसंगत है। अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रत्यर्थीगण सं. 1 ता 7 को मय परिवारजन को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावें कि वादग्रस्त भूमियों ख.नं. 667, 668, 669, 670, 671, 665, 610, 612, 617 वाके ग्राम झामावास तह. दांतारामगढ जिला सीकर को किसी भी रूप में हस्तांतरित एवं प्रभावित करने, प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमियों से बेदखल करने तथा उपयोग उपभोग में बाधा डालने से बाज रहे तथा प्रत्यर्थी सं. 9 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावें कि हस्तांतरण

उपखण्ड अधिकारी

प्रलेख पंजीकृत नहीं करें तथा प्रत्यर्थी सं. 8 को भी जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावें कि वह वादग्रस्त भूमियों की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 9 बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रार्थीगण के योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आवेदन पत्र की मद सं. 3 ता 5 में वर्णित भूमियां में प्रार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण सं. 1 व 2 का पैतृक हिस्सा रहा है। प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थीगण को होगी इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा तादौराने दावा पाबन्द फरमाया जावें।

4. हमने प्रार्थीगण के योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। ग्राम झामावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबंदी संवत् 2062–65 खाता सं. 174, 153, 152, 154 में वर्णित भूमियां प्रार्थीगण की खातेदारी भूमियां नहीं है ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन किस प्रकार से है, प्रतीत नहीं होता है एवं अपूर्तनीय क्षति भी नहीं होना पाया गया है। प्रार्थीगण को वाद में समुचित साक्ष्य के पश्चात् नियमानुसार जो भी इमदाद दी जा सकती है दी जायेगी। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे उनका आवेदन चल सकें। ऐसी स्थिति में आवेदन स्थगन चलने योग्य नहीं है। आवेदन स्थगन खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. यह निर्णय आज दिनांक 05.05.2014 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ